



प्रतिलिपि के लिए आवेदक की तारीख	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख	अपे: देने के लिए तैयार थी	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख
Date of Application for the copy	Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios	Date of delivery of the requisite stamp & folios	Date of making over the copy to the applicant
4/11/15	4/11/15	4/11/15	4/11/15


FOLIO NOT AVAILABLE
 रज्जी प्रतिलिपि अंतिम प्रकाशित खतियान के खेसरा संख्या 942, 943 ई०
 खाता नं० 561... वार्ड सं० 9... जमशेदपुर अधिसूची क्षेत्र, जिला पूर्वी सिंहभूम।

खतियान की क्रम सं०	अभिधारी का नाम पिता का नाम जाति और निवास	खेसरा संख्या	चौहदी	भूमी का स्वरूप	रकबा हे० आर० सं०	अभ्युक्ति	गैर नगदी लगान वाले हरेक प्लॉट के सामने बताए कि उस पर कब्जा कैसे है	बन्दोबस्त उचित लगान यदि हो 1 लगान 2 सेस	(1) अधियोगी रैयत कर हेसियत और कब्जे की अवधि। (2) लगान किस प्रकार नियत किया गया, आरोही (प्रोग्रेसिव हो तो विशिष्टियाँ) (3) कोई विशेष शर्त और अनुबंध बात यदि हो।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
561	सुबोध कुमार सुरमिना देवेन्द्र नाथ सुर।	942	ऊनिज रास्ता	मरती	0.15.30	19.50 उन्नीस रुपये पचास पैसे अलाबे सेस। Certified to be True Copy 4/11/15 Head Clerk to the Settlement office is authorised U/s 76 of the Indian Evidence Act, 1872	राजस्व पदाधिकारी द्वारा अभिनिश्चित लगान। 1 लगान 2 सेस	1 लगान 2 सेस	नोट मुकदमा नम्बर 5 सन 1983-84 सी. एन. टी. एक्ट के द्वारा 90 के आदेशानुसार हाल प्लॉट संख्या 942 एवं 943 हाल खातानं. 561 से खारिज होकर एक अलग खाता बनाम जगदीश सिंह, मिना हरिचंकर-सिंह के नाम से दर्ज सम्पत्ता जायगा। सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी
		943	ऊकुष्णा सिंह ऊनिज	मरती	0.08.30				
		945		मकानमकान खपड़ा मोस	0.00.50				
		6		सहन	0.09.20				
		3			0.33.30				कायमी

प्रतिलिपिक साक्षात्कार 3-11-15
 तुलना किया 4/11/15

* स्वत्व अभिलेख भोयनागपुर कार्यालय अधिनियम 1908 की धारा 82(2) तथा बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका सर्वेक्षण अधिनियम 1920 की धारा 18(1) के अन्तर्गत वैध है और इसका अन्तिम प्रकाशन दिनांक 10.11.1979... में किया गया
 अन्तिम प्रकाशन प्रमाण पत्र दिनांक 10.11.1979 को प्रस्तावित हुआ
 सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी सिंहभूम



प्रतिलिपि के लिए आवेदक की तारीख	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख		तारीख जबकी देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख
Date of Application for the copy	Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios	Date of delivery of the requisite stamp & folios	Date on which the copy was ready for delivery	Date of making over the copy to the applicant
25/6/24	25/6/24	25/6/24	28/6/24	28/6/24

FOLIO NOT AVAILABLE

रूची प्रतिलिपि अंतिम प्रकाशित खतियान के खेसरा संख्या

944

खाता नं० 236

वार्ड सं० 9

जमशेदपुर अधिसूची क्षेत्र, जिला पूर्वी सिंहभूम।

खतियान की क्रम सं०	अभिधारी का नाम पिता का नाम जाति और निवास	खेत		भूमी का स्वरूप	रकबा हे० आर० सं०	अभ्युक्ति	स्वत्वाधारी का नाम और उसकी खेवट संख्या मध्यवर्ती भू-स्वामी का नाम और उसका खेवट संख्या यदि हो		(1) अधियोगी रयत कर हेसियत और कच्चे की अवधि। (2) लगान किस प्रकार नियत किया गया, आरोही (प्रोग्रेसिव हो तो विशिष्टियाँ) (3) कोई विशेष शर्त और अनुबंध बात यदि हो।
		खेसरा संख्या	चौहदी				राजस्व पदाधिकारी द्वारा अभिनिश्चित लगान। 1 लगान 2 सेस	बन्दोबस्त उचित लगान यदि हो 1 लगान 2 सेस	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
236	देवी प्रसाद - महाचार्य पिला - महंत चन्द्र महाचार्य	944 9 6		मकान - पक्का सहन -	0.00.70 0.05.00				
					0.05.70		शं काबिल - लगान		शं काभमी

प्रतिलिपि
26/6/24

तुलना किया
27/6/24

Consolidated to be True Copy
27/6/24
I am directed to the Sub-divisional Officer
18-11-1922
Revenue Department, Jharkhand

10/11/1922
18/11/1922

26/6/24



प्रतिलिपि के लिए आवेदक की तारीख	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख	तारीख जबकी देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख
Date of Application for the copy	Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios	Date on which the copy was ready for delivery	Date of making over the copy to the applicant
25/6/24	25/6/24	25/6/24	28/6/24

FOLIO NOT AVAILABLE

रखी प्रतिलिपि अंतिम प्रकाशित खतियान के खेसरा संख्या

खाता नं० 85, वार्ड सं० 9, जमशेदपुर अधिसूची क्षेत्र, जिला पूर्वी सिंहभूम।

खतियान की क्रम सं०	अभिधारी का नाम पिता का नाम जाति और निवास	खेत		भूमी का स्वरूप	रकबा हे० आर० सं०	अभ्युक्ति	स्वत्यागारी का नाम और उसकी खेवट संख्या मध्यवर्ती भू-स्वामी का नाम और उसकी खेवट संख्या यदि हो		गैर नगदी लगान वाले हरेक प्लॉट के सामने बताए कि उस पर कब्जा कैसे है	राजस्व पदाधिकारी द्वारा अभिनिश्चित लगान। 1 लगान 2 सेस	बन्दोबस्त उचित लगान यदि हो 1 लगान 2 सेस	(1) अधियोगी रेयत कर हैसियत और कब्जे की अवधि। (2) लगान किस प्रकार नियत किया गया, आरोही (प्रोग्रेसिव हो तो विशिष्टियाँ) (3) कोई विशेष शर्त और अनुंगत बात यदि हो।
		खेसरा संख्या	चौहदी				स्वत्यागारी का नाम और उसकी खेवट संख्या	मध्यवर्ती भू-स्वामी का नाम और उसकी खेवट संख्या यदि हो				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	कृष्ण सिंह पिता शुभानी सिंह	936 a, b		मकान-पक्का	0.06.70							
		937 a, b, c		मकान-पक्का टीना छत सहम मकान-पक्का टीना छत आंगन	0.33.00 0.02.60 0.01.50							
		2										

प्रतिलिपिक
25/6/24

तुलना किया

2.50 दो
रूपये मुनास पैसे -
अलावे सेस

Compared to the Year 1923
25/6/24

नोट
सी.एन.टी. एक्ट द्वारा-85(2) के मुकदमा नं. 230R-
सन 2001-2002 के आदेशानुसार-1082-25-30 पैठे-
(एक हज़ार छेरासी रूपये हीस पैसे) अलावे सेस -
लगान निर्धारित हुआ। निर्धारित लगान सन -
1998-99 से वसूल होगा।
राजस्व पदाधिकारी

काभरी

10/DA/1923
18/DA/1923